



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272386
CG-DL-E-09052026-272386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2259]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2350(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 125 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त संहिता के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नीचे उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, जो उक्त संहिता के अध्याय IV (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) से संबंधित है, अर्थात्:-

- बीमा आयुक्त;
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक या उप निदेशक;

[फा. सं. आर-19025/07/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2350(E).— In exercise of the powers conferred by clause (5) of section 2 read with sub-section (1) of section 125 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the Officers mentioned below to exercise the powers of Authorised Officer under the said Code from the date of publication of this notification in the Official Gazette, relating to Chapter IV (Employees' State Insurance Corporation) of the said Code; namely:-

1. Insurance Commissioner;
2. Additional Commissioner or Regional Director Grade 'A'/Director or Regional Director Grade 'B'/Joint Director or Deputy Director posted in Employees' State Insurance Corporation Regional or Sub-Regional Offices;

[F. No. R-19025/07/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.